

करेंट अफेयर्स हारियाणा (संग्रह)



मार्च
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा	3
➤ यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) की खपत में वृद्धि	3
➤ निर्माण श्रमिकों को मुआवजा	5
➤ हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालयों पर बढ़ता ऋण	6
➤ हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच विनियमों में संशोधन किया	7
➤ स्वास्थ्य चुनौतियाँ और स्वस्थ जीवनशैली पर सेमिनार	8
➤ गौ संरक्षण अधिनियम के तहत मामले	9
➤ भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त	10
➤ 55वीं CRPF प्रशिक्षु अधिकारियों की पेरैड	11
➤ समग्र कल्याण के लिये आध्यात्मिक शिक्षा	13
➤ चैत्र चौदस मेला	13
➤ हरियाणा सरकार को NGT का नोटिस	14
➤ भूमि प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	16
➤ हरियाणा बजट 2025-26	18
➤ हरियाणा में रबी फसल की खरीद	20
➤ हरियाणा में मारुति सुजुकी प्लांट	21

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

हरियाणा

यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) की खपत में वृद्धि

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हरियाणा, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में चालू **रबी सीज़न** (2024-25) के दौरान यूरिया और **डाई-अमोनियम फॉस्फेट** (DAP) की खपत में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु

- **यूरिया और DAP की बढ़ती खपत:**
 - ◆ यूरिया और DAP कृषि उत्पादकता के लिये आवश्यक हैं और भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है।
 - ◆ कृषि सचिव ने हरियाणा के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कुछ जिलों में अत्यधिक उर्वरक खपत पर प्रकाश डाला।
 - ◆ उन्होंने कहा कि उपयोग अनुमानित मासिक आवश्यकता और पिछले वर्ष के आँकड़ों से अधिक हो गया है, जो असंतुलन को दर्शाता है।
- **यूरिया खपत की प्रवृत्ति:**
 - ◆ हरियाणा में यूरिया का उपयोग पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में **18% बढ़कर** 9,40,549 मीट्रिक टन से बढ़कर 11,07,205 मीट्रिक टन हो गया।
 - ◆ सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित क्षेत्रों में दर्ज की गई:
 - चरखी दादरी – 107%
 - यमुनानगर – 32%
 - सोनीपत – 30%
 - ◆ अन्य राज्यों में भी यूरिया की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई:
 - झारखंड – 35%
 - छत्तीसगढ़ – 37%
 - जम्मू और कश्मीर – 24%
 - कर्नाटक – 20%
 - बिहार – 17%
 - गुजरात – 2%
- **DAP उपभोग की प्रवृत्ति:**
 - ◆ हरियाणा में DAP का उपयोग **18% बढ़कर** 3,25,416 मीट्रिक टन हो गया, जबकि पिछले तीन वर्षों में यह औसत 2,75,934 मीट्रिक टन था।
 - ◆ सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले:
 - चरखी दादरी – 184%
 - महेन्द्रगढ़ – 65%

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- यमुनानगर – 55%
- अंबाला – 48%
- पंचकूला – 39%
- रेवाड़ी – 34%
- झज्जर – 30%
- ◆ अन्य राज्यों में भी DAP के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई:
 - छत्तीसगढ़ – 30%
 - गुजरात – 25%
 - बिहार – 17%
- **उर्वरक के दुरुपयोग पर चिंताएँ:**
 - ◆ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने जनवरी में संभावित डायवर्जन की चेतावनी दी थी।
 - ◆ हरियाणा के कृषि निदेशक राजनारायण कौशिक ने स्वीकार किया कि यूरिया का उपयोग उद्योगों की ओर किया जा सकता है।
- **उपयोग में वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक:**
 - ◆ **धान की पराली प्रबंधन :** किसान अब धान की पराली के प्रबंधन के लिये प्रति एकड़ 25-45 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करते हैं।
- **नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटेशियम (K) उर्वरक उपयोग:**
- पिछले वर्ष की 26,000 मीट्रिक टन से बढ़कर इस सीजन में खपत 66,000 मीट्रिक टन हो गई।
 - ◆ चूँकि NPK में DAP की तुलना में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसलिये किसान अतिरिक्त यूरिया का उपयोग करके इसकी भरपाई करते हैं।
- **उच्च नाइट्रोजन वाली गेहूँ की किस्में:**
 - ◆ डब्ल्यूएच 1270, डीबीडब्ल्यू 187, 303 और 327 जैसी गेहूँ की किस्मों को पुरानी किस्मों की तुलना में 1.5 गुना अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
 - ◆ अधिक उपज की उम्मीद में किसान अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं।
 - ◆ ये किस्में अब हरियाणा में अनुमानित 2.50 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं।
- **अंतर-राज्यीय उर्वरक आवागमन:**
 - ◆ रिपोर्टों से पता चलता है कि हरियाणा से उर्वरकों को पंजाब और उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है।
 - ◆ भारतीय किसान यूनियन (चरणी गुट) के राकेश बेंस ने दावा किया कि कुछ उर्वरकों को प्लाईवुड उद्योग में भी भेजा जा रहा है।

DAP (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट)

- DAP भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है।
- DAP भारत में एक पसंदीदा उर्वरक है, क्योंकि इसमें **नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं** जो प्राथमिक मैक्रो-पोषक तत्व हैं और 18 आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों का हिस्सा हैं।
- उर्वरक ग्रेड DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। इसे उर्वरक संयंत्रों में नियंत्रित परिस्थितियों में **फॉस्फोरिक एसिड के साथ अमोनिया की प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

यूरिया

- यूरिया एक सफेद क्रिस्टलीय यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर कृषि में सिंथेटिक उर्वरक के रूप में किया जाता है।
- जब यूरिया को मिट्टी या फसलों पर डाला जाता है, तो एंजाइम्स द्वारा इसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाता है।
- इसके बाद अमोनिया अमोनियम आयनों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा वृद्धि एवं विकास के लिये उपयोग किया जाता है।

निर्माण श्रमिकों को मुआवजा**चर्चा में क्यों ?**

सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को आदेश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर में **ग्रेडेड रिसपांस एक्शन प्लान (GRAP)** के तहत निर्माण गतिविधियों के रुकने पर निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दें, भले ही इसके लिये न्यायालय का कोई विशिष्ट निर्देश न हो।

मुख्य बिंदु

- **क्षतिपूर्ति भुगतान:**
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि **मुआवजे का भुगतान श्रम उपकर** के रूप में एकत्र धनराशि से किया जाना चाहिये।
 - ◆ किसी विशिष्ट न्यायालय आदेश के अभाव में भी मुआवजा वितरित किया जाना चाहिये।
- **GRAP और वायु गुणवत्ता उपाय:**
 - ◆ **प्रदूषण के स्तर पर** अंकुश लगाने के लिये दिल्ली-एनसीआर में औसत वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP उपायों को लागू किया जाता है।
 - ◆ न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में GRAP उपायों के कारण जब भी निर्माण गतिविधियाँ रुकेंगी, तो मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिये।
- **राज्यवार मुआवजे का विवरण:**
 - ◆ **हरियाणा** ने निम्नलिखित को मुआवजा दिया:
 - GRAP-4 के प्रथम चरण में 2,68,759 श्रमिक शामिल होंगे।
 - दूसरे चरण में 2,24,881 श्रमिक।
 - लगभग 95,000 श्रमिक जनवरी 2025 के लिये मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।
 - ◆ **दिल्ली** ने 93,272 श्रमिकों को मुआवजा वितरित किया, जबकि शेष पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।
 - ◆ **राजस्थान** ने 3,197 श्रमिकों को मुआवजा दिया।
 - ◆ **उत्तर प्रदेश** ने निम्नलिखित को मुआवजा दिया:
 - चरण 1 में 4,88,246 श्रमिक।
 - चरण 2 में 4,84,157 श्रमिक।
 - चरण 3 में 691 श्रमिक।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सेसIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप**नोट :**

- पंजीकरण और यूनियन बैठकें:
 - ◆ अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्माण श्रमिकों का उचित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिये श्रमिक यूनियनों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।
 - ◆ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किये गए, जिनमें निम्नलिखित शामिल थे:
 - हरियाणा में 14 जिले
 - उत्तर प्रदेश में 8 जिले
 - राजस्थान में 2 जिले (भरतपुर और अलवर)
- NCR राज्यों की जवाबदेही:
 - ◆ 2 दिसंबर 2024 को अदालत ने NCR राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित होकर यह पुष्टि करने को कहा कि काम बंद होने से प्रभावित श्रमिकों को निर्वाह भत्ता दिया गया था या नहीं।
- महत्त्व:
 - ◆ यह आदेश पर्यावरणीय प्रतिबंधों के दौरान कमज़ोर श्रमिकों के लिये मुआवजे के अधिकार को मज़बूत करता है।
 - ◆ यह प्रदूषण नियंत्रण उपायों से प्रभावित श्रमिकों के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

- परिचय:
 - ◆ GRAP आपातकालीन उपायों का एक समूह है, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिये लागू किया जाता है।
 - ◆ एमसी मेहता बनाम भारत संघ (2016) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2016 में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया और 2017 में अधिसूचित किया गया।
- कार्यान्वयन:
 - ◆ वर्ष 2021 से GRAP का कार्यान्वयन CAQM द्वारा किया जा रहा है।
 - वर्ष 2020 तक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) राज्यों को जीआरएपी उपायों को लागू करने का आदेश देता था।
 - ◆ वर्ष 2020 में EPCA को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को स्थापित किया गया।
 - ◆ CAQM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है।

हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालयों पर बढ़ता ऋण

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के पूर्व वित्तमंत्री ने सरकार द्वारा अनुदान के स्थान पर ऋण देने के बाद राज्य संचालित विश्वविद्यालयों पर बढ़ते ऋण को उजागर करने के लिये एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

मुख्य बिंदु

- **बढ़ता विश्वविद्यालय ऋण:**
 - ◆ हरियाणा के 22 राज्य विश्वविद्यालयों पर ऋण के साथ अनुदान सहायता नीति में बदलाव के कारण 6,625.82 करोड़ रुपए का ऋण जमा हो गया है।
 - ◆ बढ़ते ऋण से अनुसंधान, शिक्षण और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के अस्तित्व पर भी असर पड़ सकता है।
- **सरकार का औचित्य:**
 - ◆ राज्य सरकार का कहना है कि यह धनराशि “ब्याज मुक्त स्थायी ऋण के रूप में गैर-वसूली योग्य वित्तीय सहायता” योजना के तहत प्रदान की जाती है।
 - ◆ अधिकारियों का तर्क है कि अनुदान सहायता को **राजस्व व्यय** के रूप में गिना जाता है, जबकि ऋण को पूंजीगत व्यय के रूप में गिना जाता है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के लिये परिसंपत्तियों का निर्माण और राजस्व उत्पन्न करना है।
- **स्व-वित्तपोषण मॉडल पर चिंताएँ:**
 - ◆ अनुदान सहायता के स्थान पर ऋण देने के निर्णय का व्यावहारिक अर्थ यह है कि सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को स्व-वित्तपोषण पद्धति अपनानी होगी, जिससे विश्वविद्यालयों को फीस बढ़ाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा, जिससे निम्न एवं मध्यम वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना अप्राप्य हो जाएगा।
- **सहायता अनुदान**
 - ◆ सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति के भुगतान हैं।
 - ◆ राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदान सहायता के अलावा, केंद्र सरकार अन्य एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं को अनुदान सहायता के रूप में पर्याप्त धनराशि देती है।
 - ◆ इसी प्रकार, राज्य सरकारें भी एजेंसियों, निकायों और संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं आदि को अनुदान सहायता वितरित करती हैं।
 - ◆ इस प्रकार जारी किये गए अनुदान का उपयोग इन एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं द्वारा दिन-प्रतिदिन के परिचालन व्ययों को पूरा करने और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिये किया जाता है।

हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच विनियमों में संशोधन किया

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने अपने **ग्रीन एनर्जी** ओपन एक्सेस विनियम, 2023 में संशोधन किया है।

मुख्य बिंदु

- **खुली पहुँच के लिये विस्तारित पात्रता:**
 - ◆ 100 किलोवाट या उससे अधिक की अनुबंधित मांग वाले उपभोक्ता, चाहे एकल कनेक्शन के माध्यम से या वितरण लाइसेंसधारी के एक ही विद्युत परिचालन प्रभाग के अंतर्गत 100 किलोवाट या उससे अधिक की कुल क्षमता वाले एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से, अब हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिये पात्र हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त अधिभार छूट बढ़ाई गई:
- ◆ दिसंबर 2032 तक चालू की गई **अपतटीय पवन** परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली को अतिरिक्त **अधिभार** से छूट दी जाएगी। यह पिछली छूट को आगे बढ़ाता है, जो केवल दिसंबर 2025 तक लागू थी।
- गैर-स्वतंत्र फीडर उपभोक्ताओं के लिये खुली पहुँच पर स्पष्टीकरण:
- ◆ स्वतंत्र फीडरों से जुड़े नहीं रहने वाले पात्र उपभोक्ता ओपन एक्सेस का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे **सिस्टम की बाध्यताओं** और अपने वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए किसी भी बिजली कटौती प्रतिबंध को स्वीकार करें। ऐसे प्रतिबंधों के कारण कम निकासी की भरपाई नहीं की जाएगी।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC)

- इसकी स्थापना 17 अगस्त 1998 को हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 के प्रावधान के अनुसार एक स्वतंत्र **वैधानिक निकाय** के रूप में की गई थी।
- हरियाणा भारत का दूसरा राज्य था जिसने विद्युत क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की।
- हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 को हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया था। 20 फरवरी 1998 को भारत के **राष्ट्रपति** की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, यह अधिनियम 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ।

स्वास्थ्य चुनौतियाँ और स्वस्थ जीवनशैली पर सेमिनार

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से आरोग्य भारती द्वारा आयोजित “स्वास्थ्य चुनौतियाँ एवं स्वस्थ जीवन शैली” विषय पर एक सेमिनार में भाग लिया।

मुख्य बिंदु

- निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर जोर:
- ◆ केंद्रीय मंत्री ने स्वस्थ और फिट भारत के निर्माण में निवारक और प्रोत्साहनकारी स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को रेखांकित किया।
- ◆ उन्होंने **चरक, सुश्रुत और भगवान धन्वंतरि** जैसे प्राचीन चिकित्सा अग्रदूतों का हवाला देते हुए भारत की समृद्ध स्वास्थ्य देखभाल विरासत पर प्रकाश डाला।
- पारंपरिक प्रथाओं की भूमिका:
- ◆ उन्होंने निवारक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों के रूप में **ध्यान, योग और उपवास** के महत्व पर बल दिया।
- ◆ उन्होंने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये देश भर में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के लिये आरोग्य भारती की सराहना की।
- उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन:
- ◆ अपनी यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने निदान और उपचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिये तीन अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- डिजिटल मैमोग्राफी सेवाएँ
 - ◆ स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने और मूल्यांकन के लिये डिजाइन की गई एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन, डिजिटल डिटेक्टर-आधारित मैमोग्राफी मशीन।
- 1000 mA डिजिटल रेडियोग्राफी फ्लोरोस्कोपी (DRF) प्रणाली
 - ◆ एक आधुनिक नैदानिक प्रणाली जो बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों के लिये एक्स-रे रेडियोग्राफी और फ्लोरोस्कोपिक-निर्देशित हस्तक्षेप में सुधार करती है।
- अगली पीढ़ी अनुक्रमण (NGS) अनुप्रयोग
 - ◆ यह एक उन्नत प्रौद्योगिकी है, जो ओन्कोलॉजी अनुसंधान, RNA अनुक्रमण और रोगजनक पहचान का समर्थन करती है तथा सटीक चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त करती है।
- भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा का अनावरण:
 - ◆ भारत के प्राचीन चिकित्सा ज्ञान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में, मंत्री ने ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा का अनावरण किया।

गौ संरक्षण अधिनियम के तहत मामले

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने राज्य भर में अधिकार क्षेत्र वाली चार विशेष अदालतें स्थापित करके गौ संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के तीव्रता से निपटारे का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

- विशेष न्यायालयों की स्थापना:
 - ◆ राज्यपाल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की मंजूरी से नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार में विशेष अदालतें स्थापित की हैं।
 - ◆ इन अदालतों का नेतृत्व वरिष्ठतम अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश करेंगे जो नियमित मामलों को संभालेंगे।
 - ◆ ये अदालतें हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्द्धन अधिनियम, 2015 के तहत अपराधों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करेंगी।
- विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:
 - ◆ नूंह न्यायालय: नूंह, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के मामलों की निगरानी करेगा।
 - ◆ पलवल न्यायालय: पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक और सोनीपत जिलों को कवर करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ अंबाला न्यायालय: इसका क्षेत्राधिकार अंबाला, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों पर होगा।
- ◆ हिसार न्यायालय: हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल जिलों के मामलों को संभालेगा।
- हरियाणा का गौ संरक्षण कानून:
 - ◆ हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्द्धन अधिनियम वर्ष 2015 में बनाया गया था।
 - ◆ यह कानून गायों की हत्या पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है तथा इसका उद्देश्य गोमांस की खपत को कम करना है।
 - ◆ यह कानून गायों की हत्या, बलि चढ़ाने या हत्या करवाने पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, आत्मरक्षा में या दुर्घटनावश गाय को मारना कानून के तहत हत्या नहीं माना जाता।
- विशेष कार्य बल की भूमिका:
 - ◆ हरियाणा में इस अधिनियम को लागू करने के लिये विशेष गौ संरक्षण कार्य बल उत्तरदायी है।
 - ◆ टास्क फोर्स जनता से पशु तस्करी और हत्या के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी एकत्र करती है और तदनुसार कार्रवाई करती है।

भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त

चर्चा में क्यों ?

7 मार्च 2025 को **भारतीय वायु सेना (IAF)** का जगुआर लड़ाकू विमान उड़ान के दौरान सिस्टम में खराबी आने के कारण हरियाणा के अंबाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

मुख्य बिंदु

- जगुआर के बारे में:
 - ◆ जगुआर एक बहुमुखी विमान है, जिसका उपयोग ज़मीनी हमले, हवाई रक्षा और टोही मिशनों (Reconnaissance missions) के लिये किया जाता है।
 - यह पाँचवीं पीढ़ी (5G) का **लड़ाकू विमान** है, जो अत्यधिक संघर्ष वाले युद्ध क्षेत्रों में परिचालन करने में सक्षम है तथा इसमें वर्तमान और संभावित दोनों प्रकार के सबसे उन्नत हवाई और ज़मीनी खतरों की उपस्थिति को रेखांकित किया गया है।
 - 5G लड़ाकू विमानों में **स्टेल्थ क्षमता** होती है और वे आपटर बर्नर का उपयोग किये बिना **सुपरसोनिक गति** से उड़ान भर सकते हैं।
 - यह अपनी बहु-स्पेक्ट्रल निम्न-अवलोकनीय डिज़ाइन, आत्म-सुरक्षा, रडार जैमिंग क्षमताओं और एकीकृत एवियोनिक्स के कारण चौथी पीढ़ी (4G) के समकक्षों से अलग है।
 - **मिग-21, मिग-29, जगुआर और मिराज 2000** के स्क्वाड्रनों को अगले दशक के मध्य तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मिग -21

- 1950 के दशक में **तत्कालीन सोवियत संघ** द्वारा डिजाइन किया गया **सुपरसोनिक जेट लड़ाकू** और इंटरसेप्टर विमान।
- ◆ इतिहास में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लड़ाकू विमान, जिसकी 11,000 से अधिक इकाइयाँ निर्मित हैं तथा 60 से अधिक देश इसका संचालन करते हैं।
- भारतीय वायुसेना ने अपना पहला मिग-21 विमान वर्ष 1963 में शामिल किया था और तब से अब तक इस विमान के 874 संस्करण शामिल किये जा चुके हैं।
- यह भारत से जुड़े कई युद्धों और संघर्षों में शामिल रहा, जिसके कारण इसे “उड़ता ताबूत” का उपनाम मिला।

मिग 29

- यह एक ट्विन-इंजन, मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे 1970 के दशक में सोवियत रूस द्वारा विकसित किया गया था। तब से इसे अपग्रेड किया गया है।

55वीं CRPF प्रशिक्षु अधिकारियों की परेड

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के कादरपुर स्थित प्रशिक्षण अकादमी में **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)** के 55वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में कार्यभार संभाला।

मुख्य बिंदु

- लोगों की सेवा करने का आह्वान:
 - ◆ मुख्यमंत्री ने CRPF के नवनि्युक्त अधिकारियों से **जनता की सेवा करने** तथा **जनकल्याण को प्राथमिकता देने** वाले निर्णय लेने का आग्रह किया।
 - ◆ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनकी कमीशनिंग को जीवन का एक नया अध्याय बताया तथा उनके सफल, रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर की कामना की।
- कर्तव्य और ज़िम्मेदारी पर जोर:
 - ◆ उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि **राष्ट्रीय ध्वज** लोगों की सेवा करने और प्रभावशाली निर्णय लेने के उनके कर्तव्य का प्रतीक है।
 - ◆ उन्होंने उनसे न केवल अपराधियों को पकड़ने बल्कि समाज में सद्भाव बनाए रखने की दिशा में भी काम करने का आग्रह किया।
- अधिकारियों का स्नातक स्तर पर चयन:
 - ◆ 6 मार्च 2025 को दो महिलाओं सहित कुल 39 प्रशिक्षु अधिकारी अकादमी से स्नातक होंगे।
- इन अधिकारियों को अब **सहायक कमांडेंट** के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इन्हें युद्ध कौशल, युद्ध, फायरिंग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 52 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है।
 - ◆ इन्हें देश के विभिन्न आंतरिक सुरक्षा केंद्रों पर तैनात किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत के सात सुरक्षा बल शामिल हैं।

असम राइफल (AR)

- Ⓐ **स्थापना:** वर्ष 1835, मिलिशिया के रूप में जिसे 'कछार लेवी' के नाम से जाना जाता था।
- Ⓑ **पूर्ववर्ती उद्देश्य:** ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करना।
- Ⓒ **वर्तमान उद्देश्य:**
 - Ⓐ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना।
 - Ⓑ भारत-चीन और भारत-म्यांमार सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- Ⓓ **महत्वपूर्ण भूमिका:**
 - Ⓐ भारत-चीन युद्ध, 1962
 - Ⓑ श्रीलंका के लिये भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF) (1987) के रूप में।

आदिवासी इलाकों से लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल को 'उत्तर पूर्व का मित्र' भी कहा जाता है।

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- Ⓐ **स्थापना:** वर्ष 1965
- Ⓑ **उद्देश्य:**
 - Ⓐ पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना।
 - Ⓑ साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना।
 - Ⓒ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में उग्रवाद का मुकाबला करना।
 - Ⓓ ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना।
- Ⓓ **विंग:** एयर विंग, समुद्री विंग, आर्टिलरी रेजीमेंट और कमाण्डो यूनिट्स।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत का पहला लाइन ऑफ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)

- Ⓐ **स्वतंत्रता-पूर्व स्थापना:** वर्ष 1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस)।
- Ⓑ **स्वतंत्रता के पश्चात:** वर्ष 1949 - CRPF अधिनियम के तहत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में नामित किया गया।
- Ⓓ **उद्देश्य:** भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर मिलिटेंसी/उग्रवाद संचालन, आदि।

CRPF आंतरिक सुरक्षा के लिये प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- Ⓐ **स्थापना:** वर्ष 1962।
- Ⓑ **उद्देश्य:**
 - Ⓐ काराकोरम दर्रे (लद्दाख) से जचेप ला (अरुणाचल प्रदेश) तक सीमा पर तैनात (भारत-चीन सीमा का 3488 कि.मी. कवर करती है)।
 - Ⓑ भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊँचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी।

ITBP एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कहा जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- Ⓐ **स्थापना:** वर्ष 1984 (1986 में अस्तित्व में आया), ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात।
- Ⓑ **उद्देश्य:** आतंकवाद-रोधी इकाई/संघीय आक्रमक बल।
- Ⓒ **टार्स्क ओरिएंटेड फोर्स- दो पूरक शाखाएँ:**
 - Ⓐ स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG)।
 - Ⓑ स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG)।

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- Ⓐ **स्थापना:** वर्ष 1963
- Ⓑ **उद्देश्य:**
 - Ⓐ भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करना।
 - Ⓑ सीमा सुरक्षा बढ़ाना, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना, अनधिकृत प्रवेश/निकास को रोकना, तस्करी रोकना, आदि।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- Ⓐ **स्थापना:** केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत।
- Ⓑ **उद्देश्य:** महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPF यूनिट है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



समग्र कल्याण के लिये आध्यात्मिक शिक्षा

चर्चा में क्यों ?

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्माकुमारी संस्था की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा के हिसार में ब्रह्माकुमारी संस्था के राज्य स्तरीय अभियान 'समग्र कल्याण के लिये आध्यात्मिक शिक्षा' का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु

- आध्यात्मिकता एक एकीकृत शक्ति के रूप में:
 - ◆ राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिकता मानव निर्मित सीमाओं से परे है और मानवता को एकजुट करती है।
 - ◆ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिकता पर आधारित प्रणालियाँ, चाहे सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक हों, नैतिक और स्थायी बनी रहती हैं।
- व्यक्तिगत कल्याण पर प्रभाव:
 - ◆ जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना बनाए रखता है, वह आंतरिक शांति के साथ-साथ बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करता है।
 - ◆ आध्यात्मिक शांति न केवल व्यक्ति को लाभ पहुँचाती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा फैलाकर दूसरों के जीवन को भी समृद्ध बनाती है।
 - ◆ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आध्यात्मिक शांति से अलगाव नहीं होना चाहिये, बल्कि इसका उपयोग एक मजबूत, स्वस्थ और समृद्ध समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिये किया जाना चाहिये।
- ब्रह्मा कुमारीज का योगदान:
 - ◆ उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय कल्याण के लिये आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिये ब्रह्माकुमारीज की सराहना की।
 - ◆ संगठन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसी प्रमुख पहलों में सक्रिय रूप से योगदान देता है।
 - ◆ उनके प्रयासों में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी परिवार समग्र कल्याण को बढ़ावा देने तथा आध्यात्मिकता के माध्यम से देश के समग्र विकास में सहयोग देने का कार्य जारी रखेगा।

चैत्र चौदस मेला

चर्चा में क्यों ?

तीन दिवसीय चैत्र चौदस मेला 27 से 29 मार्च, 2025 तक कुरुक्षेत्र के पेहोवा स्थित सरस्वती तीर्थ पर आयोजित होगा।

- मेले के दौरान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की पूजा- अर्चना करने के लिये पेहोवा में एकत्र होते हैं।

मुख्य बिंदु

- प्रशासनिक समन्वय और योजना:
 - ◆ जिला प्रशासन ने मेले के सुचारु संचालन के लिये तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ प्रयासों में समन्वय तथा समय पर तैयारियाँ पूरी करने के लिये सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
- ◆ अतिरिक्त उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और व्यवस्था:**
 - ◆ लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिया गया है कि:
 - पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करें।
 - आगंतुकों के लिये अस्थायी शौचालय स्थापित करें।
 - सिंचाई विभाग सरस्वती तीर्थ स्थित तालाब से पानी निकालकर उसे ताजा पानी से भरेगा।
 - ◆ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), स्वास्थ्य, नगर पालिका, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, अग्निशमन, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, पुलिस सहित कई विभागों के अधिकारियों को मेले की तैयारियों के लिये निर्देश दिये गए हैं।
- **सुरक्षा और कानून प्रवर्तन उपाय:**
 - ◆ पुलिस उपाधीक्षक (DSP) ने बताया कि मेला क्षेत्र को आठ सुरक्षा सेक्टरों में बाँटा जाएगा।
 - ◆ निम्नलिखित स्थानों पर पुलिस चौकियाँ स्थापित की जाएंगी:
 - अंबाला रोड
 - गुहला-पेहोवा रोड
 - कैथल रोड
 - गैलेर्वा रोड
 - कुरुक्षेत्र रोड
 - ◆ श्रद्धालुओं को बार-बार रुकने से बचाने के लिये एक ही स्थान पर पूरी सुरक्षा जाँच की जाएगी।
 - ◆ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिये बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
- **उन्नत निगरानी और मॉनीटरिंग:**
 - ◆ यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे चालू हैं, मेला स्थल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच की जाएगी।
 - ◆ वाहन चोरी रोकने के लिये खराब पड़े कैमरों को बदला जाएगा तथा पार्किंग क्षेत्रों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

हरियाणा सरकार को NGT का नोटिस

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान और हरियाणा सरकारों को अपने 9 दिसंबर 2022 के फैसले का पालन करने के लिये नोटिस जारी किया है।

- न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों को गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह (हरियाणा) और अलवर (राजस्थान) में संरक्षित **अरावली** भूमि से अवैध निर्माण को हटाने के लिये एक निगरानी समिति गठित करने और समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

- 2022 के निर्णय का अनुपालन:
 - ◆ इन ज़मीनों को 'गैर मुमकिन पहाड़' (अनुपयुक्त पहाड़ी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहाँ निर्माण प्रतिबंधित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, राज्यों ने कोई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की न ही आवश्यक कार्रवाई की।
- **मामले की पृष्ठभूमि:**
 - ◆ कार्यकर्ताओं ने मूल रूप से अरावली भूमि पर अतिक्रमण को उजागर करते हुए याचिका दायर की थी।
 - ◆ यह मामला एक दशक से अधिक समय से NGT की जाँच के अधीन है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की 7 मई 1992 की अधिसूचना के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।
 - ◆ न्यायाधिकरण ने दिसंबर 2022 का फैसला जारी करने से पहले 10 वर्षों से अधिक समय तक इस मामले की निगरानी की थी।
- **NGT का 2022 का निर्णय और निर्देश:**
 - ◆ NGT ने कहा था कि अतिक्रमणकारियों की पहचान कर ली गई है और दोनों राज्यों ने एक निगरानी तंत्र गठित कर लिया है।
 - ◆ दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को तिमाही समीक्षा के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया।
 - ◆ पीड़ित पक्षों को किसी भी उल्लंघन के लिये कानूनी उपाय अपनाने की अनुमति दी गई।
- **अवैध निर्माण की सीमा:**
 - ◆ वन विभाग के सर्वेक्षण से पता चला है कि गुरुग्राम में अरावली की भूमि पर कम-से-कम 500 अवैध फार्महाउस बनाए गए हैं।
 - ये ग्वालपहाड़ी, अभयपुर, गैरतपुर बास, सोहना, रायसीना और मानेसर जैसे क्षेत्रों में स्थापित थे।

अरावली पर्वतमाला



- ◆ अरावली, पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह तीन अरब साल पुराना है।
- ◆ यह गुजरात से दिल्ली (राजस्थान और हरियाणा से होकर) तक 800 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है।
- ◆ अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है।
- **जलवायु पर प्रभाव:**
 - ◆ अरावली पर्वतमाला का उत्तर-पश्चिम भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है।
 - ◆ मानसून के दौरान, पर्वत श्रृंखला मानसून के बादलों को धीरे-धीरे पूर्व की ओर शिमला और नैनीताल की ओर ले जाती है, जिससे उप-हिमालयी नदियों को पोषण मिलता है तथा उत्तर भारतीय मैदानों को पोषण मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ सर्दियों के महीनों के दौरान, यह सिंधु और गंगा की उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली कठोर ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- ④ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ④ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ④ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ④ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- ④ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ④ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ④ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
 - ④ 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ④ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ④ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ④ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ④ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
 - ④ CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ④ **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ④ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी हैं**)
- ④ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
 - ④ यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ④ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ④ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ④ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ④ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ④ जैव-विविधता अधिनियम, 2002



Drishti IAS

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

भूमि प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

24 से 29 मार्च, 2025 तक पंचायती राज मंत्रालय, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) के सहयोग से, हरियाणा के गुरुग्राम में HIPA परिसर में “भूमि प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला” की मेजबानी कर रहा है।

- इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

मुख्य बिंदु

- वैश्विक भागीदारी और फोकस क्षेत्र:
 - ◆ कार्यशाला में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के 22 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
 - ◆ प्रतिभागी विश्व भर में भूमि प्रशासन की चुनौतियों के समाधान के लिये नवीन समाधान तलाशेंगे।
 - ◆ भारत की अग्रणी स्वामित्व योजना, जो ग्रामीण बसे हुए क्षेत्रों का मानचित्रण करने और कानूनी संपत्ति स्वामित्व दस्तावेज़ प्रदान करने के लिये ड्रोन तकनीक का उपयोग करती है, का प्रदर्शन किया जाएगा।
- तकनीकी एवं क्षेत्र सत्र:
 - ◆ सत्रों में ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण तकनीक, उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण और बेहतर भूमि प्रशासन के लिये भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा।
 - प्रतिभागियों को ड्रोन सर्वेक्षण विधियों, डाटा प्रसंस्करण, भू-सत्यापन और GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) एकीकरण के व्यावहारिक प्रदर्शन में भाग लेना होगा।
 - भारतीय सर्वेक्षण विभाग व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिये एक गाँव में लाइव ड्रोन सर्वेक्षण प्रदर्शन आयोजित करेगा।
 - ◆ क्षेत्रीय दौरे और प्रदर्शनों से आधुनिक भूमि प्रशासन प्रौद्योगिकियों के बारे में वास्तविक जानकारी मिलेगी।
 - ◆ दस ड्रोन विक्रेता ड्रोन आधारित भूमि मानचित्रण और सर्वेक्षण तकनीकों में नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाएंगे।
- उद्योग जगत के नेताओं की भागीदारी:
 - ◆ ज्ञान साझेदारों में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य भूमि राजस्व विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जियो-स्पेशियल वर्ल्ड, हेक्सागन, ट्रिम्बल, एरेओ, मार्वेल जियोस्पेशियल, आइडिया फोर्ज टेक और एडब्ल्यूएस शामिल हैं।
 - ◆ कक्षा प्रदर्शन में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - भूमि प्रशासन में ड्रोन के उपयोग के मामले।
 - ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेजिंग और फीचर-एक्सट्रेक्टड मैपिंग।
 - उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण और संपत्ति कार्ड को अंतिम रूप देने के लिये ग्राउंड सत्यापन प्रौद्योगिकियाँ।
- वैश्विक भूमि प्रशासन चुनौती का समाधान:
 - ◆ विश्व बैंक की 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आबादी के केवल 30% लोगों के पास कानूनी रूप से पंजीकृत भूमि स्वामित्व है।
 - ◆ भारत की स्वामित्व योजना वैश्विक भूमि प्रशासन के लिये एक मॉडल प्रदान करती है, जो 1:500 रिज़ॉल्यूशन पर 5 सेमी सटीकता मानचित्रण प्रदान करती है।
 - ◆ कार्यशाला का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों को भारत के मॉडल से सीख लेकर भूमि अधिकारों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में सहायता करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

स्वामित्व योजना

- परिचय:
 - ◆ स्वामित्व का तात्पर्य है गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण।
 - ◆ यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय **पंचायती राज दिवस** के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था।
- उद्देश्य:
 - ◆ ग्रामीण भारत के लिये एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना।
- विशेषताएँ:
 - ◆ ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण और CORS (निरंतर प्रचालन संदर्भ स्टेशन) नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा, जो 5 सेमी की मानचित्रण सटीकता प्रदान करता है।
 - ◆ इससे गाँवों के बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान रखने वाले ग्रामीण परिवार स्वामियों को 'अधिकारों का अभिलेख' उपलब्ध हो सकेगा।
 - ◆ यह 2021-2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करेगा।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम

- वर्ष 1964 में शुरू किया गया ITEC कार्यक्रम 160 साझेदार देशों तक फैला हुआ है, जो विविध विषयों में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग, **जलवायु परिवर्तन**, स्वास्थ्य और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर समग्र कौशल संवर्द्धन में योगदान देते हैं।

हरियाणा बजट 2025-26

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये राज्य का **बजट** पेश किया, जिसमें **सतत विकास** और आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना का प्रस्ताव किया गया।

मुख्य बिंदु

- कुल बजट परिचय : बजट में 2025-26 के लिये ₹2,05,017.29 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के संशोधित अनुमानों से 13.7% की वृद्धि दर्शाता है।
- भविष्य विभाग : हरियाणा को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिये तैयार करने के लिये एक नया "भविष्य विभाग" स्थापित किया जाएगा।
 - ◆ यह विभाग एक रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, जो जलवायु परिवर्तन की तैयारी, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**, स्वचालन और आर्थिक लचीलेपन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- हरियाणा AI मिशन : सरकार ने हरियाणा AI मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके लिये **विश्व बैंक** ने 474 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता का आश्वासन दिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सेसIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

नोट :

- ◆ इस मिशन के अंतर्गत, शासन और उद्योग के भीतर AI को अपनाने और उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये गुरुग्राम और पंचकूला में केंद्र स्थापित लिये जाएंगे।
- लाडो लक्ष्मी योजना : **लाडो लक्ष्मी योजना** के लिये ₹5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 प्रदान करना है, जो महिला सशक्तीकरण और वित्तीय सहायता के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- रोजगार सृजन : बजट में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है, जिसमें **मिशन हरियाणा-2047** के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कार्यबल विकास के लिये दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम : ₹10 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ **संकल्प (मादक द्रव्यों के सेवन और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जानकारी और जागरूकता तथा मुक्ति कार्यक्रम प्राधिकरण)** नामक एक नया प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।
- ◆ यह निकाय जागरूकता और पुनर्वासि पहल के माध्यम से नशीली दवाओं की लत से निपटने के प्रयासों का समन्वय करेगा।
- राजकोषीय विवेकशीलता: हरियाणा की वित्तीय सेहत को मजबूत बनाना पिछले दशक में, हरियाणा ने उल्लेखनीय राजकोषीय अनुशासन का प्रदर्शन किया है।
- ◆ राजस्व घाटा 2014-15 में **सकल घरेलू उत्पाद** के 1.90% से घटकर 2024-25 में अनुमानित 1.47% हो गया है और कुल बजट के प्रतिशत के रूप में।
- ◆ यह 13.4% से घटकर 9.9% हो गया है।
- ◆ इसी प्रकार, **राजकोषीय घाटे** को भी लगातार प्रबंधित किया गया है, जो 2014-15 में 2.88% से घटकर 2024-25 में 2.68% हो गया है।
- एथलीटों के लिये सहायता : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों को 20 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवरेज मिलेगा, जिसका प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
- ◆ ओलंपिक पदक विजेताओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिये ₹10 लाख प्रदान लिये जाएंगे और वे अपनी खेल अकादमी स्थापित करने के लिये 2% सब्सिडी के साथ ₹5 करोड़ के ऋण के लिये पात्र होंगे।
- बुनियादी ढाँचे का विकास : बुनियादी ढाँचे के लिये महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाई गई है, जिसमें कई शहरों में बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाओं का विकास और गुरुग्राम में एक नई मेट्रो लाइन शामिल है।
- ◆ हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू जैसे स्थानों के लिये उड़ान सेवाएँ भी एजेंडे में हैं।
- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना: हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिये बजट में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है।
- ◆ महिला डेयरी किसानों के लिये 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, नई **बागवानी** नीति और हिसार हवाई अड्डे पर बागवानी उत्पादों के लिये एयर कार्गो सुविधा जैसी पहल से कृषि मूल्य श्रृंखला में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- ◆ इसके अतिरिक्त, पशु कल्याण और स्थायी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में गौ अभयारण्य स्थापित लिये जा रहे हैं।
- शिक्षा संबंधी पहल : विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही महिला छात्राओं को कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत 1 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी, जिससे तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- **स्टार्टअप** को सशक्त बनाना: राज्य सरकार निजी निवेशकों को 2,000 करोड़ रुपए का 'फंड ऑफ फंड्स' बनाने के लिये सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ यह पहल उद्यमियों को समर्थन प्रदान करेगी, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देगी तथा हरियाणा में निवेश आकर्षित करेगी।
- मिशन हरियाणा-2047: इस बजट के तहत एक दूरदर्शी पहल है 'मिशन हरियाणा-2047'। इसका लक्ष्य हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है।
- ◆ राज्य के GSDP में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2014-15 में 4,37,145 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 12,13,951 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 10.8 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ रहा है।
- ◆ इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 1,47,382 रुपये से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 3,53,182 रुपये हो गयी है।

हरियाणा में रबी फसल की खरीद

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिये 75 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा है।

- खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 6,653 करोड़ रुपये से अधिक की नकद ऋण सीमा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा को इस रबी सीजन में गेहूँ की उल्लेखनीय पैदावार की उम्मीद है, जिससे राज्य सरकार द्वारा खरीद व्यवस्था को बढ़ाने की तैयारी गई है।
- मुख्यमंत्री ने विपणन बोर्ड के अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिये मंडियों के खाली क्षेत्रों में बड़े शेड बनाने के निर्देश दिये हैं।
- खरीद की जिम्मेदारियाँ विभिन्न एजेंसियों के बीच विभाजित की गई हैं:
 - ◆ 30% खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा
 - ◆ 40% HAFED (हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड) द्वारा
 - ◆ 20% हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा
 - ◆ 10% भारतीय खाद्य निगम द्वारा
- हरियाणा केंद्रीय पूल में लगभग 25% गेहूँ का योगदान देता है तथा भारत में गेहूँ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- गेहूँ की खरीद के लिये कुल 415 मंडियाँ संचालित होंगी, जौ के लिये 25, चना के लिये 11, मसूर के लिये 7, सरसों के लिये 116 और सूरजमुखी के लिये 17 मंडियाँ संचालित होंगी।
- विभिन्न रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निम्नानुसार तय किये गए हैं:
 - ◆ गेहूँ: ₹2,425 प्रति क्विंटल
 - ◆ जौ: ₹1,980 प्रति क्विंटल
 - ◆ चना: ₹5,650 प्रति क्विंटल
 - ◆ मसूर: ₹6,700 प्रति क्विंटल

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ सरसों: ₹5,950 प्रति क्विंटल
- ◆ सूरजमुखी: ₹7,280 प्रति क्विंटल
- मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिये टीमों गठित करने के निर्देश दिये हैं ताकि सुचारू एवं कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य:

- परिचय:
 - ◆ MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है।
 - ◆ **MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग** (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
 - CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
 - ◆ भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)** MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
 - ◆ MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और **फसल विविधीकरण** को प्रोत्साहित करना है।

हरियाणा में मारुति सुजुकी प्लांट

चर्चा में क्यों ?

मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के खरखौदा में तीसरा संयंत्र स्थापित करने के लिये 7,410 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की, जो प्रति वर्ष 2.5 लाख वाहनों का उत्पादन करने में सक्षम होगा।

मुख्य बिंदु

- मौजूदा और आगामी क्षमता:
 - ◆ खरखौदा में वर्तमान उत्पादन क्षमता 2.5 लाख इकाई प्रति वर्ष है।
 - ◆ 2.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष क्षमता वाला एक अन्य संयंत्र भी निर्माणाधीन है।
- तीसरे संयंत्र के लिये अनुमोदन:
 - ◆ 26 मार्च 2025 को मारुति सुजुकी के बोर्ड ने खरखौदा में तीसरे संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी।
 - ◆ तीसरे संयंत्र के साथ, खरखौदा की कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 7.5 लाख इकाई तक पहुँचने की उम्मीद है।
 - ◆ प्रस्तावित क्षमता विस्तार को वर्ष 2029 तक पूरा किया जाना है।
- विस्तार का कारण:
 - ◆ कंपनी ने तीसरे संयंत्र की स्थापना के लिये निर्यात अवसरों सहित बढ़ती बाजार मांग को प्रमुख कारण बताया।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

